न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

ब इजलास- पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या - 158/2019

निर्णय दिनांक - 4.11.2020

1. इन्द्रसिंह पुत्र रणजीत] जाति जाट निवासीगण नेशल तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. सतीसनडी पुत्र देवकरण]

- वादीगण

बनाम

1. दारासिंह पुत्र चन्दगीराम] जाति जाट निवासीगण नेशल तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. प्रेम पुत्र चन्दगीराम]
3. बबीता पत्नी गोविन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नेशल तहसील राजगढ़ जिला चूरू
4. मनोहरी पुत्री चन्दगीराम जाति जाट निवासी नेशल तहसील राजगढ़ जिला चूरू
5. मायापति पत्नी चेतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नेशल तहसील राजगढ़ जिला चूरू
6. रोहताश कुमार पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी नेशल तहसील राजगढ़ जिला चूरू
7. राजस्थान सरकार जरिए श्रीमान तहसीलदार साहेब राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

- प्रतिवादीगण

वाद बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 R.T. Act

उपस्थित :-

1. श्री अजय सिंह अधिवक्ता वास्ते वादीगण
2. एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी सं. 1 ता 6
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं. 7.

निर्णय

इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.7.2019 की पालना में तहसीलदार राजगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री के अनुरूप ही तैयार कर भिजवाया गया है जिस पर कोई आपत्ति पेश नहीं हुई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन में सहमति जाहिर की। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता है।

1. इन्द्रसिंह पुत्र रणजीत, सतीसनडी पुत्र देवकरण ब.हि.ब. जाति जाट निवासी नेशल खातेदार के हक हिस्सा में ख०न० 1338/152 मी० रकबा 0.2611 है० लगान 1.04 किस्म बा.प्र. रोही ग्राम नेशल तहसील राजगढ़ जिला चूरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में बरंग लाल से दर्शाए अनुसार रहेगी।

2. रोहताश कुमार पुत्र मालाराम हि० 0.9339 है० जाति जाट, दारासिंह पुत्र चन्द्गीराम हि० 0.2611 है० जाति जाट, मनोहरी पुत्री चन्द्गीराम जाति जाट प्रेम पुत्र चन्द्गीराम हि० 0.2611 है० जाति जाट, बबीता पत्नी गोविन्द हि० 0.0553 है० जाति कुम्हार (प्रजापति) मायापति पत्नी चेतराम हि० 0.0553 है० जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नेशल खातेदार के हक हिस्सा में रोही ग्राम नेशल तहसील राजगढ़ जिला चूरू के ख०न० 1338/152 मी० रकबा 1.8278 है० लगान 7.32 किस्म बा.प्र० नक्शा विभाजन प्रस्ताव में बरंग सफेद से दर्शाए अनुसार रहेगी।

देय मुद्रांक शुल्क अदा करने पर पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)